

हिमाचल प्रदेश सरकार  
वन विभाग

No:- FFE-B-F002/46/2024

Dated Shimla-171002, the

October, 2024

**ORDER**

**Subject:-** Diversion of 1.8916 hectare forest land in favour of NHAI, Vasant Vihar, PIU Dehradun for the Up-gradation of Paonta Sahib-Ballupur (Dehradun) section from km 97.000 to km 149.000 of NH-72 in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh, development of bypass to Paonta Sahib between Kms. 98.300 to 104.000 of NH-72 in the State of H.P., within the jurisdiction of Paonta Forest Division, Distt. Sirmour, H.P. (Online No. FP/HP/Road/144814/2021).

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय शिमला द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या दिनांक 24/06/2024 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.8916** हे० वन भूमि के उपयोग के लिए **विधिवत् स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :-

- i. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
- iii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
- iv. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 4.00 हे० वन भूमि, Block/compartments/Survey No.-C-3, RF Giri, Baghani Forest Range, Paonta Forest Division, Distt. Sirmour, H.P. पर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाये।
- v. प्रतिपूर्ति पौधारोपण भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, द्वारा जारी किए गए स्वीकृति पत्र की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।

- vi. CEO, State CAMPA, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, द्वारा अनुमोदित सीए योजना के अनुसार CA वृक्षारोपण के लिए DFO को CAMPA Scheme के तहत धनराशि जारी करना सुनिश्चित करेंगे।
- vii. DFO अनुमोदित CA Sites पर वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करेंगे और MoEF & CC की अनुमति प्राप्त किए बिना अनुमोदित CA Sites को नहीं बदलेंगे।
- viii. राज्य वन विभाग प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तांतरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।
- ix. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
- x. State Forest Department shall ensure the implementation of Soil and Moisture Conservation Plan.
- xi. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य वन विभाग बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
- xii. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि जो भी कम हो के सह-समाप्ति होगी।
- xiii. वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।
- xiv. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवाएंगे।
- xv. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- xvi. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज तथा गति-अवरोधक लगाए जाएंगे।
- xvii. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों जहां जहां संभव हो अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जाएगी।
- xviii. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जाएंगे।

- xix. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
- xx. स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्रिय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।
- xxi. केन्द्रिय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।
- xxii. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा।
- xxiii. अन्य कोई भी शर्त भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़, उप कार्यालय शिमला द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- xxiv. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xxv. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Consolidated Guidelines and Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van(Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।
- xxvi. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य वन विभाग की जिम्मेवारी होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

कमलेश कुमार पंत, भा0प्र0से0  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार

**Endst. No. As above      Dated, Shimla – 171002****October, 2024****Copy is forwarded for information and necessary action to: -**

1. The Director General of Forests (R.O.H.Q.), Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), Indira Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi – 110003.
2. The Deputy Inspector General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Sub-Office, Shimla (Regional Office Chandigarh), C.G.O. Complex, Shivalik Khand, Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr. CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum-Addl. Pr. CCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-171001 w.r.t. his letter No. Ft. 48-5553/2021 (FCA) dated 31-08-2024 for similar necessary action.
5. The CEO, H.P. State CAMPA, O/o Pr. CCF (HoFF), H.P., Shimla-1
6. The Deputy Commissioner, Sirmour at Nahan, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh.
7. The Divisional Forest Officer, Paonta Sahib Forest Division, Distt. Sirmour, H.P.
8. The National Highway Authority of India, Vasant Vihar, PIU, Dehradun, Uttarakhand, India.
9. Guard file.

Special Secretary (Forest) to the  
Government of Himachal Pradesh

\*\*\*\*\*